

[श्री शंकर दयाल सिंह]

नेता श्री यशवन्त सिन्हा और श्री सुबोध कान्त सहाय से कहा। दोनों इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और माननीय उप मंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी भी उस अधिकारी और उस घटना के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि सरकार की ओर से आज बयान होना चाहिए कि श्री गणधीर वर्मा जिनकी बैंक लूटते समय आतंकवादियों द्वारा हत्या की गयी है उनके संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और सी०बी०आई० से इन्क्वायरी कराने जा रही है या नहीं कराने जा रही है।

**श्री अजीत जोगी (मध्य प्रदेश):** महोदय, यह बड़ा गम्भीर मामला है। सी०बी०आई० की इन्क्वायरी कोई बड़ी बात नहीं है। एक बहादुर अधिकारी की हत्या हुई है उसकी जांच सी०बी०आई० से सरकार को करानी चाहिए। माननीय संसदीय मामलों के मंत्री यहां उपस्थित हैं वे कृपया आश्वासन दें।

**वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री और विदेश मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह):** महोदय, मरने वाले अधिकारी मेरे जीवन के 20-25 वर्षों के निजी मित्र रहे हैं। मैंने उनके साथ अपने जीवन के 20-25 वर्षों को गुजारा है। जो बात माननीय सदस्य श्री शंकर दयाल और जोगी साहब ने कही है उसमें सरकार पूर्ण रूप से चीजों के बारे में जानकारी रख रही है। अगर जरूरत पड़ी तो सरकार कभी भी सी०बी०आई० की इन्क्वायरी से हिचकेगी नहीं। अभी ऐसा लगता है कि करीब करीब सारी सही जानकारी राज्य सरकार के लोगों को मिल रही है। हम सारे लोग निजी तौर से भी उस हत्या से दुखी हैं। बैंक को लूटते समय वह पुलिस अधिकारी मारा गया है इससे वित्त मंत्रालय में रहने की वजह से और भी मेरी निजी नुकसान हुआ है और दूसरों के लिए एक मिसाल भी पेश हुई है। अपने कर्तव्यों के लिए जिन लोगों ने जाने गंवायी, गणधीर वर्मा उसी श्रेणी में आ गये हैं। मैं दोनों माननीय सदस्यों को सरकार की तरफ

से बताना चाहूंगा कि हम लोग उस मामले की पूरी जानकारी रख रहे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो सी.बी.आई. की इन्क्वायरी हम अवश्य कराएंगे।

# THE RESERVE BANK OF INDIA (AMENDMENT) BILL, 1990—

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Now, there is a small amendment Bill to be taken up. We shall take up that Bill.

SHRI SUNIL BASU RAY (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, I want to make only one point before this Bill is taken up.

Most of the banks remain undefended. The question of defence has not been met by the hon. Minister. I want an assurance from the Minister that all the banks, their offices, situated in interior rural areas will be properly defended.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE AND DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DIGVIJAY SINGH): Sir, I beg to move:

"That the following amendment made by the Lok Sabha in the Reserve Bank of India (Amendment) Bill, 1990, be taken into consideration, namely:—

## Clause—1

Page 1, lines 3 and 4,—

for "(Amendment) Act, 1990"

substitute "(Second Amendment) Act, 1991"

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DIGVIJAY SINGH): Sir, I beg to move:

"That the amendment made by the Lok Sabha in the Bill be agreed to."

The question was put and the motion was adopted.

# I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE FINANCE (SECOND AM- ENDMENT) ORDINANCE, 1990 AND

## II. THE TAXATION LAWS (AM- ENDMENT) BILL, 1991—CONTD.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI DIGVIJAY SINGH): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Finance Act, 1990 and the Income-tax Act, 1961, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, the hon. Members are aware that as a result of the crisis in the Gulf, the Government has undertaken a massive effort to evacuate Indians working in the area and provide relief to them. With a view to partly meeting the cost involved in this effort, the Government had decided to mobilise additional resources through *inter alia* increase in the surcharge of income tax, payable by domestic companies. Since the Parliament was not in Session and it was necessary to take immediate action to raise the resources, the Finance (Second Amendment) Ordinance, 1990 was promulgated by the President on the 15th October 1990. Under the Ordinance, the surcharge payable by domestic companies during the financial year 1990-91 for income exceeding 75,000 rupees was increased from 8 per cent to 15 per cent. The Ordinance provided that the surcharge at the higher rate of 15 per cent would apply by deducting tax at source from payments made to domestic companies. As such, deduction is to be made under the various provisions of the Income-tax Act 1961 and the Finance Act of 1990. (Interruptions)

श्रीमती सुवमा स्वराज (हरियाणा)  
महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।...  
(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): Please let him conclude.

श्रीमती सुवमा स्वराज : सदन में कोरम पूरा नहीं है। ... (व्यवधान)  
वह कैसे पूरा है? पच्चीस सदस्य नहीं हैं सदन में—कोरम पूरा नहीं है, और मंत्री जी बिल पेश कर रहे हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश) : यह विषय हाऊस में नहीं उठाया जाता है।

SHRI DIGVIJAY SINGH: The Ordinance also provided that the enhanced rates... (Interruptions).

श्रीमती सुवमा स्वराज : क्यों? ...  
(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : गड़बड़ होती है। ... (व्यवधान)

श्री शंकर बयाल सिंह (बिहार) : महोदय, परंपरा के अनुसार राज्य सभा में कोरम का प्रश्न नहीं उठाया जाता है, यह ठीक है। लेकिन यदि किसी सदस्य ने यह प्रश्न उठा दिया है, तो आपको इस पर रूलिंग देनी चाहिए। घंटी बजानी चाहिए और जब कोरम हो जाए, तब बात बढ़े।

यह बात बिल्कुल सही है। इसलिए माननीय सदस्य ने जो कहा है, मैं उसका समर्थन करता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. NAGEN SAIKIA): If you desire so, we can adjourn the House for lunch.

पेट्रोलियम और रसायन तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)  
उनकी यह इच्छा नहीं है।